/जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जांजगीर–चॉपा (छ0ग0)/

प्रस्तुति दिनांक :– ऑन लाईन–24/06/2025
अंतिम तर्क हेतु– 22/10/2025
आदेश पारित दिनांक–22/10/2025

प्रकरण क्र. **DC/379/CC**/60/2025

अभिषेक कुमार पटेल उम्र 27 वर्ष
पिता श्री रमेश पटेल
निवासी–ग्राम बोकरेल, थाना व तहसील बलौदा
जिला–जांजगीर–चॉपा छ.ग.
मो.–6260350624 ...श्री अरविंद सिंह चंदेल/परिवादी

(विरूद्ध)

केरला टायर्स घटोली चौक चाम्पा
जिला जांजगीर–चॉपा छ.ग., पिन 495671
मो.नं–9826641897, 7898160076 ....श्री ए.आर. देवांगन/विरूद्ध पक्षकार

समक्षः श्री प्रशान्त कुन्डू, अध्यक्ष
श्री विशाल तिवारी, सदस्य,
श्रीमती महिमा सिंह सदस्य,

परिवादी द्वारा श्री अरविंद सिंह चंदेल अधिवक्ता।
विरूद्ध पक्षकार द्वारा श्री ए.आर. देवांगन अधिवक्ता।

द्वारा– श्री विशाल तिवारी, सदस्य,

1. परिवादी ने धारा 35 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत यह परिवाद विरूद्ध पक्षकार/विरूद्ध पक्षकार के विरूद्ध सेवा में कमी किए जाने के आधार पर टायर खराब होने के कारण टायर की रकम 17,000/–रू., टायर की मरम्मत कार्य नहीं होने के फलस्वरूप परिवादी को अपने ट्रेक्टर को 05–06 माह खड़ा करना पड़ा है जिसकी नुकसानी

लगभग 1,00,000 / –रू., टायर की मरम्मत कार्य नहीं होने के फलस्वरूप परिवादी को हुये आर्थिक क्षति के लिए 10,000 / –रू. एवं मानसिक पीड़ा के लिए 10,000 / –रू. एवं अन्य अनुतोष दिलाए जाने हेतु प्रस्तुत किया है।

2. उभय पक्षकर के मध्य स्वीकृत तथ्य है कि परिवादी अपने ट्रेक्टर के इंजन का बड़ा टायर के ग्रीफ निकल जाने के कारण दिनांक 24.06.2024 को विरूद्ध पक्षकार के पास टायर रिपेयरिंग के कार्य के लिए गया था ।

3. परिवाद के आवश्यक तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी अपने ट्रेक्टर के इंजन का बड़ा टायर के ग्रीफ निकल जाने के कारण दिनांक 24.06.2024 को विरूद्ध पक्षकार के पास टायर रिपेयरिंग के कार्य के लिए गया था तब विरूद्ध पक्षकार के द्वारा उक्त टायर का रिपेयरिंग कार्य न कर परिवादी को यह बताया कि उक्त टायर के बदले अन्य टायर ले लो तथा उक्त टायर की खराब होने की संभावना नहीं है तथा उस टायर के रबर खराब होने पर एक वर्ष की वारंटी है। जिस पर परिवादी अपने ट्रेक्टर टायर को विरूद्ध पक्षकार को दे दिया तथा विरूद्ध पक्षकार ने उस ट्रेक्टर टायर के बदले एक अन्य टायर उसी दिनांक को परिवादी को दिया जिसकी कीमत 17,000 / –रू. है जिसमें एक वर्ष की वारंटी थी। विरूद्ध पक्षकार द्वारा यह आश्वासन दिया कि यदि एक वर्ष के भीतर उक्त टायर के रबर में किसी प्रकार की खराबी आती है तो उसका जिम्मेदार मैं होउंगा और उक्त टायर की रिपेयरिंग करने अथवा

अन्य टायर देने की जिम्मेदारी मेरी होगी। विरूद्ध पक्षकार द्वारा दी गई उक्त टायर 5–6 माह चलने के बाद उसका रबर निकल गया तथा टायर में दरार आने लगी जिसकी सूचना परिवादी द्वारा विरूद्ध पक्षकार को दी गई तथा उक्त टायर की मरम्मत करने हेतु निवेदन किया गया परंतु विरूद्ध पक्षकार के द्वारा आज आना कल आना कहते हुए टालमटोल करते रहे, जिस कारण से परिवादी का ट्रेक्टर करीबन 5–6 माह से खड़ी है तथा परिवादी को आर्थिक क्षति हो रही है। परिवादी विरूद्ध पक्षकार द्वारा बुलाये जाने पर अपने ट्रेक्टर के टायर के मरम्मत कार्य हेतु दिनांक 02.06.2025 को लेकर गया था परंतु विरूद्ध पक्षकार के द्वारा परिवादी को कहा गया कि मैं तुम्हें टायर दे चुका हूॅ और कोई भी वारण्टी नहीं दिया हूॅ और मैं तुम्हें न तो इस टायर को बनाकर दुंगा न ही उसके बदले अन्य टायर दुंगा जो करना है कर लेना कहकर धमकी देते हुए परिवादी को भगा दिया । इस प्रकार विरूद्ध पक्षकार के द्वारा परिवादी के प्रति सेवा में कमी एवं व्यापारिक कदाचरण की गई है। अतः परिवादी ने विरूद्ध पक्षकार से उपरोक्तानुसार परिवाद पत्र में वांछित अनुतोष दिलाए जाने का निवेदन किया है।

4. विरूद्ध पक्षकार द्वारा लिखित कथन पेश कर स्वीकृत तथ्य के अलावा परिवाद के समस्त अभिवचनों से इंकार करते हुये कथन किया है कि परिवादी के द्वारा प्रस्तुत परिवाद प्रथमदर्शी स्पष्ट एवं विधिवत नहीं है। परिवाद में आवश्यक तत्व का अभाव है। परिवादी द्वारा अपने परिवाद एवं नोटिस में वर्णित ट्रेक्टर वाहन का पंजीयन क्रमांक एवं उक्त ट्रेक्टर

से संबंधित कोई भी दस्तावेज परिवाद के साथ प्रस्तुत नहीं किया है। विरूद्ध पक्षकार टायर पंचर एवं रिपेयरिंग का कार्य करता है किसी भी प्रकार से टायर का विक्रय का कारोबार नहीं करता है न ही किसी टायर कंपनी का एजेंट है। परिवादी द्वारा लाया गया टायर बीच से कटा फटा होकर सपोर्टिंग डालकर लाया गया था जो बिल्कुल भी रिपेयरिंग लायक नहीं था। परिवादी द्वारा रिपेयरिंग करने का निवेदन किया गया था जिसे विरूद्ध पक्षकार ने रिपेयरिंग करने से इंकार कर दिया। विरूद्ध पक्षकार के रिपेयरिंग स्थान में कुछ अच्छे टायर को देखकर परिवादी अपने क्षतिग्रस्त टायर को बदलने की मांग करने लगा जिस पर विरूद्ध पक्षकार ने परिवादी को बताया कि उसके दुकान में रखे सभी टायर किसी प्रयोजनार्थ है एवं 15 पोण्ड हवा का दाब रखकर चलाया जाना होता है और पथरीले उबड़–खाबड़ स्थान में चलाये जाने लायक नहीं है। परिवादी द्वारा ट्रेक्टर का नया टायर 30–35 हजार रूपय का होना बताया और उतना पैसा उपलब्ध नहीं होना कहते हुये अपने एक टायर के बदले दो पुराना टायर बदली में लिया। परिवादी द्वारा ट्रेक्टर का भिन्न प्रयोजन में उपयोग किया गया है। विरूद्ध पक्षकार ने परिवादी को यह कभी भी आश्वासन नहीं दिया कि टायर के खराबी में वह जिम्मेदार होगा और रिपेयर करके देने या अन्य टायर देने की जिम्मेदारी कभी भी नहीं लिया। परिवादी दिनांक 02.06.2025 को विरूद्ध पक्षकार के पास आकर नया टायर मांगने लगा और विरूद्ध पक्षकार के द्वारा पूछताछ करने पर परिवादी विरूद्ध पक्षकार के साथ अभद्र व्यवहार करने लगा

और थाने में रिपोर्ट करने की धमकी देते हुए चला गया। परिवादी के द्वारा विरूद्ध पक्षकार के विरूद्ध झूठा और मनगढंत तथा विरूद्ध पक्षकार को अनावश्यक परेशान करने के नियत से परिवाद लाया गया है। विरूद्ध पक्षकार द्वारा परिवादी के प्रति किसी प्रकार से अनुचित व्यापारिक व्यवहार या सेवा में कमी नहीं की गई है। अतः परिवाद विरूद्ध पक्षकार के विरूद्ध 5,000/–रू. परिव्यय के साथ खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

5. परिवादी ने परिवाद के समर्थन में स्वयं का शपथ–पत्र एवं सूची अनुसार दस्तावेज टायर का बिल दिनांक 24.06.2024 नकल प्रदर्श सी–1, रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 03.06.2025 नकल प्रदर्श सी–2, डाक पावती दिनांक 03.06.2025 नकल प्रदर्श सी–3, रजिस्टर्ड नोटिस का जवाब नकल प्रदर्श सी–4, परिवादी का आधार कार्ड नकल प्रदर्श सी–5 प्रस्तुत किया है।

6. विरूद्ध पक्षकार के द्वारा जवाब के समर्थन में एम.एस. नायर का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

7. परिवाद पर उभयपक्ष के तर्क सुने गए। अभिलेखगत सामग्री का परिशीलन किया गया।

8. परिवाद के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैः–

1. क्या विरूद्ध पक्षकार के द्वारा परिवादी के प्रति सेवा में कमी की गई है ?

2. क्या परिवादी, विरूद्ध पक्षकार से वांछित अनुतोष पाने का अधिकारी है ?

निष्कर्ष के आधार

विचारणीय प्रश्न क्रमांक–1 एवं 2 का सकारण निष्कर्ष :–

9. उभय पक्ष के द्वारा अपने–अपने अभिवचन के अनुरूप ही तर्क पेश किया गया है। उभयपक्ष के अभिवचन, शपथ पत्र, दस्तावेजों एवं तर्को के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का अवलोकन किया गया।

10. परिवादी का तर्क है कि परिवादी अपने ट्रेक्टर के इंजन का बड़ा टायर के ग्रीफ निकल जाने के कारण दिनांक 24.06.2024 को विरूद्ध पक्षकार के पास टायर रिपेयरिंग के कार्य के लिए गया था तब विरूद्ध पक्षकार के द्वारा उक्त टायर का रिपेयरिंग कार्य न कर परिवादी को यह बताया कि उक्त टायर के बदले अन्य टायर ले लो तथा उक्त टायर की खराब होने की संभावना नहीं है तथा उस टायर के रबर खराब होने पर एक वर्ष की वारंटी है। जिस पर परिवादी अपने ट्रेक्टर टायर को विरूद्ध पक्षकार को दे दिया तथा विरूद्ध पक्षकार ने उस ट्रेक्टर टायर के बदले एक अन्य टायर उसी दिनांक को परिवादी को दिया जिसकी कीमत 17,000/–रू. है जिसमें एक वर्ष की वारंटी थी। विरूद्ध पक्षकार द्वारा यह आश्वासन दिया कि यदि एक वर्ष के भीतर उक्त टायर के रबर में किसी प्रकार की खराबी आती है तो उसका जिम्मेदार मैं होउंगा और उक्त टायर की रिपेयरिंग करने अथवा अन्य टायर देने की जिम्मेदारी

मेरी होगी। परिवादी द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि विरूद्ध पक्षकार द्वारा दी गई उक्त टायर 5–6 माह चलने के बाद उसका रबर निकल गया तथा टायर में दरार आने लगी जिसकी सूचना परिवादी द्वारा विरूद्ध पक्षकार को दी गई तथा उक्त टायर की मरम्मत करने हेतु निवेदन किया गया परंतु विरूद्ध पक्षकार के द्वारा आज आना कल आना कहते हुए टालमटोल करते रहे, जिस कारण से परिवादी का ट्रेक्टर करीबन 5–6 माह से खड़ी है तथा परिवादी को आर्थिक क्षति हो रही है। परिवादी का तर्क है कि परिवादी विरूद्ध पक्षकार द्वारा बुलाये जाने पर अपने ट्रेक्टर के टायर के मरम्मत कार्य हेतु दिनांक 02.06.2025 को लेकर गया था परंतु विरूद्ध पक्षकार के द्वारा परिवादी को कहा गया कि मैं तुम्हें टायर दे चुका हूँ और कोई भी वारण्टी नहीं दिया हूँ और मैं तुम्हें न तो इस टायर को बनाकर दुंगा न ही उसके बदले अन्य टायर दुंगा जो करना है कर लेना कहकर धमकी देते हुए परिवादी को भगा दिया । इस प्रकार विरूद्ध पक्षकार के द्वारा परिवादी के प्रति सेवा में कमी एवं व्यापारिक कदाचरण की गई है। अतः परिवादी ने विरूद्ध पक्षकार से उपरोक्तानुसार परिवाद पत्र में वांछित अनुतोष दिलाए जाने का निवेदन किया है।

11. विरूद्ध पक्षकार का तर्क है कि परिवादी के द्वारा प्रस्तुत परिवाद प्रथमदर्शी स्पष्ट एवं विधिवत नहीं है। परिवाद में आवश्यक तत्व का अभाव है। परिवादी द्वारा अपने परिवाद एवं नोटिस में वर्णित ट्रेक्टर वाहन का पंजीयन क्रमांक एवं उक्त ट्रेक्टर से संबंधित कोई भी

दस्तावेज परिवाद के साथ प्रस्तुत नहीं किया है। विरूद्ध पक्षकार टायर पंचर एवं रिपेयरिंग का कार्य करता है किसी भी प्रकार से टायर का विक्रय का कारोबार नहीं करता है न ही किसी टायर कंपनी का एजेंट है। परिवादी द्वारा लाया गया टायर बीच से कटा फटा होकर सपोर्टिंग डालकर लाया गया था जो बिल्कुल भी रिपेयरिंग लायक नहीं था। परिवादी द्वारा रिपेयरिंग करने का निवेदन किया गया था जिसे विरूद्ध पक्षकार ने रिपेयरिंग करने से इंकार कर दिया। विरूद्ध पक्षकार का यह भी तर्क है कि विरूद्ध पक्षकार के रिपेयरिंग स्थान में कुछ अच्छे टायर को देखकर परिवादी अपने क्षतिग्रस्त टायर को बदलने की मांग करने लगा जिस पर विरूद्ध पक्षकार ने परिवादी को बताया कि उसके दुकान में रखे सभी टायर किसी प्रयोजनार्थ है एवं 15 पोण्ड हवा का दाब रखकर चलाया जाना होता है और पथरीले उबड़–खाबड़ स्थान में चलाये जाने लायक नहीं है। परिवादी द्वारा ट्रेक्टर का नया टायर 30–35 हजार रूपय का होना बताया और उतना पैसा उपलब्ध नहीं होना कहते हुये अपने एक टायर के बदले दो पुराना टायर बदली में लिया। परिवादी द्वारा ट्रेक्टर का भिन्न प्रयोजन में उपयोग किया गया है। विरूद्ध पक्षकार का यह भी तर्क है कि विरूद्ध पक्षकार ने परिवादी को यह कभी भी आश्वासन नहीं दिया कि टायर के खराबी में वह जिम्मेदार होगा और रिपेयर करके देने या अन्य टायर देने की जिम्मेदारी कभी भी नहीं लिया। परिवादी दिनांक 02.06.2025 को विरूद्ध पक्षकार के पास आकर नया टायर मांगने लगा और विरूद्ध पक्षकार के द्वारा

पूछताछ करने पर परिवादी विरूद्ध पक्षकार के साथ अभद्र व्यवहार करने लगा और थाने में रिपोर्ट करने की धमकी देते हुए चला गया। परिवादी के द्वारा विरूद्ध पक्षकार के विरूद्ध झूठा और मनगढंत तथा विरूद्ध पक्षकार को अनावश्यक परेशान करने के नियत से परिवाद लाया गया है। विरूद्ध पक्षकार द्वारा परिवादी के प्रति किसी प्रकार से अनुचित व्यापारिक व्यवहार या सेवा में कमी नहीं की गई है। अतः परिवाद विरूद्ध पक्षकार के विरूद्ध 5,000/–रू. परिव्यय के साथ खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

12. प्रकरण में उभयपक्ष के द्वारा किये गये अभिवचन का अध्ययन किया गया। परिवादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का परिशीलन किया गया तथा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागणों के द्वारा प्रस्तुत तर्कों का विश्लेषण किया गया। प्रदर्श सी–1 के तहत टायर का बिल प्रस्तुत किया है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि यह बिल अभिषेक पटेल के नाम से दिया गया है जो कि जीएसटी बिल नहीं है। इसके पर्टीकुलर कालम में Two 13X6x28 Tyre Exchenge Charge तथा राशि में 17,000/–रू. लिखा हुआ है। पर्टीकुलर में ही वन ईयर वारंटी फार रबर ओन्ली लिखा हुआ है। बिल में दुकान की शील भी नहीं लगी हुई है। बिल में Two 13X6x28 Tyre Exchenge Charge लिखा हुआ है । रजिस्टर्ड नोटिस प्रदर्श सी–2, रजिस्टर्ड नोटिस का जवाब प्रदर्श सी–4 प्रस्तुत किया है।

13. परिवादी ने तर्क के समर्थन में प्रदर्श सी–1 के तहत टायर का बिल प्रस्तुत किया है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह बिल

अभिषेक पटेल के नाम से दिया गया है जो कि जीएसटी बिल नहीं है। इसके पर्टीकुलर कालम में Two 13X6x28 Tyre Exchenge Charge तथा राशि में 17,000/–रू. लिखा हुआ है। पर्टीकुलर में ही वन ईयर वारंटी फार रबर ओन्ली लिखा हुआ है। बिल में दुकान की शील भी नहीं लगी हुई है। बिल में Two 13X6x28 Tyre Exchenge Charge लिखा हुआ है लेकिन यह किस नंबर के टायर के लिए है नहीं लिखा हुआ है, प्रत्येक टायर का नंबर होता है और उसी नंबर के आधार पर टायर की खरीदी बिक्री होती है जिससे टायर की पहचान की जाती है। लेकिन प्रस्तुत बिल में टायर का नंबर भी नहीं लिखा हुआ है जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि टायर ट्रेक्टर के इंजन के लिए था। परिवादी ने किस ट्रेक्टर क्रमांक के लिए टायर लिया था का उल्लेख नहीं किया है और न ही ट्रेक्टर के स्वामित्व के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है। उक्त विवेचना से यह प्रमाणित नहीं होता है कि विरूद्ध पक्षकार द्वारा परिवादी को टायर ट्रेक्टर के इंजन के लिए दिया गया था तथा टायर में एक वर्ष की वारंटी दी गई थी। परिवादी के द्वारा अपने परिवाद की अनुतोष कण्डिका में टायर की रकम की मांग की है किंतु परिवादी के द्वारा विरूद्ध पक्षकार से ट्रेक्टर इंजन के लिए टायर क्रय करना तथा उसमें एक वर्ष की वारंटी होना प्रमाणित नहीं कर पाया है तथा विरूद्ध पक्षकार के द्वारा परिवादी के प्रति सेवा में कमी तथा अनुचित व्यापरिक व्यवहार किया जाना भी प्रमाणित नहीं कर पाया है। इस संबंध में रनवीत सिंह बग्गा बनाम के. एल. एम. रायल डच एयर लाईन्स 2000 (1) माननीय उच्चतम

<u>न्यायालय 66</u> अवलोकनीय है। जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि सेवा में कमी साबित करने का भार आरोप लगाने वाले के उपर है और प्रस्तुत परिवाद में भी परिवादी, विरुद्ध पक्षकार पर लगाये गये आरोप साबित कर पाने में सफल नहीं हो पाया है और न ही विरुद्ध पक्षकार के द्वारा परिवादी के प्रति किसी प्रकार की सेवा में कमी किया जाना पाया जाता है।

14. इस प्रकार प्रस्तुत परिवाद में विरुद्ध पक्षकार के द्वारा परिवादी के प्रति किसी प्रकार की सेवा में कमी किया जाना या अनुचित व्यापार व्यवहार किया जाना नहीं पाये जाने से विचारणीय प्रश्न क्र. 1 व 2 का निष्कर्ष ''**अप्रमाणित**'' में दिया जाता है।

15. अतः इस जिला आयोग के मत में परिवादी के द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार योग्य होना नहीं पाते हुए अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।

16. उभयपक्ष अपना–अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

(प्रशान्त कुन्डू)
अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
जांजगीर–चॉपा छ.ग.
दिनांक 22/10/2025

(विशाल तिवारी)
सदस्य
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
जांजगीर–चॉपा छ.ग.
दिनांक 22/10/2025

(महिमा सिंह)
सदस्य
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
जांजगीर–चॉपा छ.ग.
दिनांक 22/10/2025